रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2000/ज्येष्ठ 18, 1922
No. 325] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2000/JYAISTHA 18, 1922

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2000

सा. का. नि. 529(अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (तृतीय संशोधन नियम), 2000 कहलाएँगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 में :-

(1) नियम 5 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम समाविष्ट किया जाएगा अर्थात् :-

"(3) पासपोर्ट प्राधिकारी किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए पासपोर्ट आवेदन-पत्र एकत्र करने अथवा उसके नवीनीकरण के लिए नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विनिष्ट सेवा प्रभार के भुगतान पर किसी विविध सेवा के लिए नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन देय शुल्क के अलावा अपनी ओर से प्राधिकृत

कर सकता है अथवा आवेदक द्वारा ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के माध्यम से सेवा प्रभार का भुगतान किया जाएगा,

(II) नियम 8 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुन: क्रमबद्ध किया जाएगा और उप-नियम (1) को इस प्रकार पुन: क्रमबद्ध करने के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) केन्द्र सरकार नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत पासपोर्ट आवेदन-पत्रों को एकत्रित करने के लिए उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को आवेदक द्वारा देय सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकती है।"

(III) नियम (9) के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"9. शुल्क का संकलन :- (1) नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत आवेदन-पत्रों के संबंध में देय सभी शुल्क पासपोर्ट प्राधिकारी के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाएगा अथवा संबंधित पासपोर्ट प्राधिकारी के काउंटर पर नकद भुगतान किया जाएगा और रसीद में उनके संबंध में ब्यौरा दिया जाएगा जिनके लिए यह शुल्क भेजा गया है अथवा जिसके लिए भुगतान किया गया है।"

(2) नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत देय सेवा प्रभार का भुगतान नियम 5 के उप-नियम (3) में संदर्भित व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को किया जाएगा।

[फा. सं. VI/401/43/2000]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी : आरंभिक नियम (1980 बाह्य) भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड में दिनांक 11.12.1980 के सा0का0नि0 सं. 657 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित हुए थे, तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए:-

1. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 50 (ई) दिनांक 07.02.1980
2. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.469 (ई) दिनांक 24.06.1982
3. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.325 (ई) दिनांक 12.04.1983
4. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.494 (ई) दिनांक 16.06.1983
5. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.345 (ई) दिनांक 29.03.1985
6. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.860 (ई) दिनांक 01.11.1985
7. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.1185(ई) दिनांक 21.11.1988
8. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.100 (ई) दिनांक 04.03.1991

9. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.503 (ई) दिनांक 10.07.1993
10. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.622 (ई) दिनांक 27.06.1990
11. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.605 (ई) दिनांक 05.10.1998
12. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.516 (ई) दिनांक 08.07.1999
13. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.827 (ई) दिनांक 29.12.1999
14. अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 34 (ई) दिनांक 12.01.2000
15. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.473 (ई) दिनांक 22.05.2000
16. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.472 (ई) दिनांक 22.05.2000
17. अधिसूचना सं0 सा.का.नि.485 (ई) दिनांक 23.05.2000

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2000

G. S. R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passports (Third Amendment Rules), 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980,---

(i) in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The Passport Authority may authorise any person or authority to collect passport applications on its behalf for issue of a passport or travel document or for the renewal thereof or for any miscellaneous service on payment of a service charge specified by the Central Government under sub-rule (2) of rule 8 in addition to the fee payable under sub-rule (1) of rule 8 and the service charge shall be paid by the applicant to such person or authority";

(ii) rule 8 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) The Central Government may specify service charge payable by

the applicant to the person or authority for collection of passport applications under sub-rule (3) of rule 5";

(iii) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Collection of fees:-(1) All fees payable in respect of applications under sub-rule (1) of rule 8 be remitted by demand draft drawn in favour of the passport authority or paid in cash at the counter of the passport authority concerned stating in the receipt the particulars in respect of which such fees have been remitted or paid."

(2) The service charge payable under sub-rule (2) of rule 8 shall be paid to the person or the authority referred to in sub-rule (3) of rule 5.

[F. No. VI/401/43/2000]
S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note : The Principal Rules published vide Notification No. GSR 657 (E) dated December 11, 1980 (1980 external) Part II Section 3, sub-section (i), subsequently amended by :-

1. Notification No. GSR 50 (E) dated 7.02.1980
2. Notification No. GSR 469 (E) dated 24.06.1982
3. Notification No. GSR 325 (E) dated 12.04.1983
4. Notification No. GSR 494 (E) dated 16.06.1983
5. Notification No. GSR 345 (E) dated 29.03.1985
6. Notification No. GSR 860 (E) dated 1.11.1985
7. Notification No. GSR 1155(E) dated 21.11.1988
8. Notification No. GSR 100 (E) dated 4.03.1991
9. Notification No. GSR 503(E) dated 10.07.1993
10. Notification No. GSR 622(E) dated 27.06.1990
11. Notification No. GSR 605(E) dated 5.10.1998
12. Notification No. GSR 516(E) dated 8.07.1999
13. Notification No. GSR 827(E) dated 29.12.1999
14. Notification No. GSR 34(E) dated 12.01.2000
15. Notification No. GSR473(E) dated 22.05.2000
16. Notification No. GSR472(E) dated 22.05.2000
17. Notification No. GSR485(E) dated 23.05.2000

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.